भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FK 383359

सजन सिंह मेमोरियल ट्रस्ट

मैं सुरेश सिंह पुत्र स्व० श्री हरिमोहन सिंह ग्राम व पोस्ट– कन्हरिया, परगना– बिडहर, तहसील – आलापुर, जिला– अम्बेडकर नगर का निवासी हूँ। मैं उक्त ट्रस्ट को 11000 (ग्यारह हजार रूपये) समर्पित करता हूँ जो इस ट्रस्ट की निधि होगी। इस ट्रस्ट का नाम उद्देश्य कार्य एवं कार्यविधि पदाधिकारीगण, सदस्य निम्नवत होंगे।

ट्रस्ट का नाम– सजन सिंह मेमोरियल ट्रस्ट

ट्रस्ट का कार्यालय – ग्राम व पोस्ट– कन्हरिया, तहसील– आलापुर ,जिला– अम्बेडकर नगर

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारत वर्ष एवं विदेश

सुरेश सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FK 303358

ट्रस्ट के उद्देश्य एवं कार्य–

1. सामान्य एवं उच्च तकनीकी, कृषि शिक्षा संस्थान, कृषि विकास के लिए कृषि कार्य करना, उन्नतिशील बीजों को उत्पादित करना, भूमि सुधार , जल संरक्षण, ऊसर सुधार, कृषि फार्मिंग, वृक्षारोपण वन विकास सम्बन्धित कार्य, भूमि क्रय–विक्रय करना, कृषि विज्ञान केन्द्र कृषि विद्यालय आदि स्थापित करना एवं संचालित करना एवं पर्यावरण प्रदूषण के निवारण हेतु प्रयास करना, शिक्षण कार्य विज्ञान पर शोध कार्य करना।
2. समाज के अशिक्षित बालक/बालिकाओं को शिक्षा के साधन उपलब्ध कराना, विभिन्न प्रकार के विद्यालयों का नामकरण करते हुए दिशानिर्देश के साथ स्थापना करना एवं शिक्षा प्रदान करना।
3. योग्य एवं गरीब बालक/बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने हेतु छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना बालक/बालिकाओं को रोजगार में सहायक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना और एतदर्थ शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनका संचालन करना।
4. समाज को श्रेष्ठ चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराना, बच्चों के लिए छात्रावास विद्यालय, चिकित्सालय एवं रोजगारपरक शिक्षा संस्थान खोलना, बनवाना तथा पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना व उनका संचालन करना।
5. सामाजिक उद्देश्यों वाली संस्थाओं को अपने ट्रस्ट से सम्बद्ध करना और उनका सहयोग करना एवं सहयोग देना समाजसेवी संस्थाओं एवं बन्धुओं को

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FK 583360

पुरस्कृत करना, मन्दिर, पूजा स्थल निर्माण एवं रख-रखाव करना, सहयोग देना तथा उद्देश्यों में सहायक या उनके आनुषंगिक कोई भी वैधानिक कार्य करना।

6. अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, जनजातियों तथा सभी समुदाय के गरीब लोगों के लिए विशेष शिक्षण संस्थाएं उपलब्ध कराना तथा उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने हेतु विशेष प्रकार के रोजगार परक प्रशिक्षण इत्यादि का कार्य करना।

7. भारतीय संविधान के आशय के अनुरूप समाज का नव निर्माण हेतु शिशुओं, बालक-बालिकाओं, युवा एवं वृद्ध पुरुषों व महिलाओं के सम्पूर्ण सर्वांगीण विकास हेतु ज्ञान-विज्ञान एवं तकनीकी, शारीरिक, मानसिक, कलात्मक, साहित्यिक, सामाजिक एवं नैतिक शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षण प्रशिक्षण कार्य का स्थापना कर संचालन करना।

8. मूक, बधिर, अन्ध, विकलांग, मंद बुद्धि, अनाथ, विधवा, वृद्ध एवं निराश्रित एवं अन्य कमजोर व्यक्तियों हेतु कल्याणकारी कार्य का संचालन करना।

9. खादी और ग्रामोद्योगिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना। औद्योगिक वन, कृषि सुगन्ध औषधियों, पौधों तथा लुप्तप्राय जीवों व वनस्पतियों का संरक्षण, संवर्धन एवं उन्नतिशील शंकर बीजों का उत्पादन तथा उनके उन्नयन हेतु कार्य चलाना।

10. उपेक्षित व अविकसित ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलों की पहचान करना तथा उनके संरक्षण की व्यवस्था करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 604151

11. प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्वयं सेवी संगठन द्वारा चलाये जाने वाले समाज के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना व उन्हें सफल बनाना।
12. समाज के समग्र विकास हेतु विभिन्न प्रकार की आर्थिक योजनाएं संचालित करना।
13. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुदान स्थानीय निकायों सरकारी एवं गैरसरकारी एवं आयकर विभागों से छूट एवं सहायता प्राप्त करना।
14. ट्रस्टी को हर क्षेत्र में कार्य करना।
15. सभी सदस्यों का अधिकार बराबर होगा।
16. अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा होगा एवं सदस्य भी सदस्यों की सहमति से अध्यक्ष हो सकता।
17. ट्रस्ट के पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है।

ट्रस्ट के धन विनियोग–

1. ट्रस्ट के धन का विनियोग आयकर विभाग की धारा 11/5 एवं अन्य प्राविधानों के उद्देश्यों के लिए किया जायेगा।
2. उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन संग्रह करना सहायता लेना व देना, ब्याज रहित व ब्याज सहित ऋण लेना व देना जायदाद खरीदना व बेचना, निर्माण करना, लीज पर देना व लेना, बैंक व्यवहार एवं अन्य जो भी आवश्यक कार्य हो उन्हें करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DW 604152

3. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विदेश से धन व ऋण क्रय व विक्रय एवं विनिमय, पट्टा, किराये पर या अन्य किसी प्रकार से भू-खण्ड भवन या कोई चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना या उसकी व्यवस्था करना।
4. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट की किसी भी चल व अचल सम्पत्ति का विक्रय अथवा हस्तान्तरण, विनिमय, बन्धक दृष्टि बन्धक, पट्टे, गिरवी या किसी भी भांति निस्तारण या अन्य किसी भी प्रकार से उपयोग में लाना।

ट्रस्ट मण्डल–

1. ट्रस्ट का एक स्थायी मण्डल होगी, जिसमें सदस्यों की संख्या किसी दशा में 2 से कम और 11 से ज्यादा न होग। इन्हीं स्थायी सदस्यों में से पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। ट्रस्ट में स्थायी सदस्यों क नियुक्ति भी आवश्यकतानुसार की जा सकेगी। ऐसे सदस्यों का कार्यकाल उनकी नियुक्ति से 2 वर्ष का होगा, परन्तु उनकी पुनर्नियुक्ति भी सम्भव होगी।
2. ट्रस्ट का स्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा ही की जायेगी।
3. स्थायी न्यासियों में से किसी का स्थान रिक्त होने पर उनके स्थान पर नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।
4. ट्रस्ट का संरक्षक किसी भी स्थायी व अस्थायी सदस्य को अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा। तथा उसका कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होगा और उसकी पुनर्नियुक्ति भी सम्भव होगी।

सुरेश सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DM 604153

5. ट्रस्ट के अध्यक्ष का कार्यकाल आजीवन होगा। उसके मृत्योपरान्त ट्रस्ट के सदस्यों में से सदस्यों द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा।
6. ट्रस्ट के सेक्रेटरी का कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा। इसकी पुनर्नियुक्ति भी सम्भव होगी।
7. ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। इसकी पुनर्नियुक्ति भी सम्भव होगी।
8. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी सरकारी/गैरसरकारी मामलों में अथवा किसी वित्तीय संस्थान या बैंक से ऋण लेने की दशा में ट्रस्ट के अध्यक्ष के साथ सेक्रेट्री या कोषाध्यक्ष में से किसी एक के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा ही समस्त दस्तावेजों का निष्पादन किया जायेगा।
9. ट्रस्ट मण्डल में कोई भी पद किसी भी कारण से रिक्त होता है तो अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति से ही भरा जायेगा।
10. ट्रस्ट मण्डल के मध्य अनिर्णय या किसी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा न्यायोचित से निर्णय लिया जा सकता है, जो अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
11. ट्रस्ट मण्डल के द्वारा लिये गये सभी निर्णयों एवं कार्यों का क्रियान्वयन ट्रस्ट के अध्यक्ष के द्वारा अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा ही किया जायेगा।
12. किसी भी विषय पर मतदान की स्थिति में अध्यक्ष को एक अतिरिक्त मत देने का विशेषाधिकार होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BW 604154

13. अस्थायी ट्रस्टियों की भूमिका मात्र परामर्श की होगी तथा उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

14. निम्नलिखित परिस्थितियां उत्पन्न होने पर सम्बद्ध ट्रस्टी का पद रिक्त माना जायेगा–

क– त्याग–पत्र देने एवं अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर।

ख– नैतिक पतन से सम्बद्ध अपराध में सजा होने पर।

ग– मन एवं बुद्धि अथवा शारीरिक रूप से अक्षम हो जाने पर।

घ– दिवालिया घोषित होने पर।

ङ– ट्रस्ट की बैठकों में लगातार तीन बार अनुमति लिये बिना अनुपस्थित रहने पर।

च– मृत्यु हो जाने पर।

15. ट्रस्ट के न्यासी के आराध्य देव जी की सेवा पूजा व धार्मिक अनुष्ठान हेतु ट्रस्ट, आचरण एवं योग्यता पर आधारित होगा।

सुरेश सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DW 604155

ट्रस्ट के निम्नलिखित स्थायी सदस्य एवं पदाधिकारीगण होंगे

क्र0 सं0	नाम	पता	आयु	पद
1	सुरेश सिंह पुत्र स्व0 श्री हरिमोहन सिंह	ग्राम व पोस्ट– कम्हरिया, तहसील– आलापुर, अम्बेडकर नगर	50	संस्थापक एवं अध्यक्ष
2	विक्रम सिंह पुत्र श्री अरविन्द सिंह	ग्राम व पोस्ट– कम्हरिया, तहसील– आलापुर, अम्बेडकर नगर	23	सेक्रेट्री
3	आदित्य सिंह पुत्र श्री सुरेश सिंह	ग्राम व पोस्ट– कम्हरिया, तहसील– आलापुर, अम्बेडकर नगर	20	कोषाध्यक्ष
4	विशाल सिंह पुत्र श्री अरविन्द सिंह	ग्राम व पोस्ट– कम्हरिया, तहसील– आलापुर, अम्बेडकर नगर	21	सदस्य ट्रस्टी
5	आशुतोष सिंह पुत्र श्री सुरेश सिंह	ग्राम व पोस्ट– कम्हरिया, तहसील– आलापुर, अम्बेडकर नगर	19	सदस्य ट्रस्टी
6	अरविन्द सिंह पुत्र स्व0 श्री हरिमोहन सिंह	ग्राम व पोस्ट– कम्हरिया, तहसील– आलापुर, अम्बेडकर नगर	56	सदस्य ट्रस्टी
7	प्रभा सिंह पत्नी श्री अरविन्द सिंह	ग्राम व पोस्ट– कम्हरिया, तहसील– आलापुर, अम्बेडकर नगर	50	सदस्य ट्रस्टी

सुरेश सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible] 604156

<u>अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–</u>

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति किसी भी कर्मचारी/सदस्य, मैनेजमेंट कमेटी की/वैतनिक/अवैतनिक नियुक्ति/पदच्युत करना।
2. ट्रस्ट की नीतियों का निर्धारण करना।
3. ट्रस्ट वार्षिक बजट को स्वीकृत देना।
4. लेखा पुस्तकों, आय–व्यय खाता, चिट्ठा एवं आडिटर की रिपोर्ट पर विचार व स्वीकृति देना एवं अगले साल के लिए आडिटर की नियुक्ति करना।
5. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण लेना–देना, रेहन रखना, पट्टा लेना व देना, चल –अचल सम्पत्तियों का क्रय–विक्रय, निर्माण आदि करना।
6. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश–विदेश से सहायता लेना व देना।
7. कोई भी ऐसा कार्य करना जो ट्रस्ट के हित में आवश्यक हो।
8. ट्रस्ट की बैठकें आयोजित करना या कराना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को ट्रस्ट से प्राप्त करने का अधिकार होगा।
10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किये गये सभी प्रकार के व्यय को ट्रस्ट से प्राप्त करने का अधिकार होगा।

सुरेश चौबे

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH — 8W 604157

11. ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के ऋण लेने अथवा अन्य किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी दस्तावेजों का निष्पादन करना या कराना।
12. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय एवं संस्थाओं का नामकरण करके उनकी स्थापना करना एवं अलग–अलग शिक्षा संस्थाओं की अलग–अलग कमेटी गठित करके संचालित करना।

<u>सिक्रेटरी के अधिकार एवं कर्तव्य–</u>

1. अध्यक्ष के परामर्श से ट्रस्ट मण्डल की बैठक आयोजित करना।
2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पत्र–व्यवहार करना व कराना।
3. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
4. लेखा–पुस्तकों को तैयार करना व कराना।
5. ट्रस्ट की सभी गतिविधियों से ट्रस्ट मण्डल को अवगत कराना।
6. ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए धन संग्रह करना।
7. ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार से ऋण लेने अथवा किसी भी प्रकार के सरकारी/गैर सरकारी दस्तावेजों का निष्पादन करना।
8. अन्य सभी कार्य जो अध्यक्ष के द्वारा सौंपे जायें उन्हें करना।

<u>कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–</u>

1. ट्रस्ट के द्वारा अर्जित किये गये आय एवं व्यय का हिसाब–किताब रखना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DM 604158

2. लेखा-पुस्तकों को आडिट कराना एवं ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना।
3. ट्रस्ट से सम्बंधित सभी प्रकार के कानूनी मामलों को अध्यक्ष के निर्देशानुसार ही देखना एवं निस्तारण करना।
4. वार्षिक बजट तैयार करके ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना एवं अध्यक्ष से स्वीकृति कराना।
5. ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए धन संग्रह करना।
6. ट्रस्ट मण्डल की सभी बैठकों में उपस्थित रहना।
7. ट्रस्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का ऋण लेने अथवा अन्य किसी भी प्रकार के सरकारी/गैरसरकारी दस्तावेजों का निष्पादन करना।
8. अन्य सभी कार्य जो अध्यक्ष के द्वारा सौंपे जायें उन्हें करना।

<u>ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य–</u>

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना कराने जिसमें सामान्य एवं उच्च तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षण संस्थान की स्थापना की स्थापना के लिए इत्यादि को तलाश करके ट्रस्ट की सहायता करना।
2. ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यों को विधि पूर्वक सम्पन्न कराने में मदद करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 604159

<u>ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य–</u>

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना करवाने जिसमें सामान्य एवं उच्च तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए इत्यादि की तलाश करके ट्रस्ट की सहायता करना।
2. ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यों को विधि पूर्वक सम्पन्न कराने में मदद करना।

<u>ट्रस्ट के कोषों का संचालन –</u>

1. ट्रस्ट के सभी प्रकार के कोषों एवं बैंक खातों का संचालन अध्यक्ष के साथ सिक्रेटरी या कोषाध्यक्ष में से किसी एक के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा ही किया जायेगा।
2. ट्रस्ट का खाता किसी भी सहकारी बैंक /राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोला जायेगा।

<u>ट्रस्ट की बैठक–</u>

1. वर्ष में कम से कम एक बार ट्रस्ट की बैठक अवश्य बुलायी जायेगी। इसके लिये सदस्यों को कम से कम एक सप्ताह पहले सूचना देनी होगी।
2. आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष द्वारा 24 घण्टे की सूचना पर विशेष बैठक बुलायी जा सकती है।

आवेदन सं० [illegible]

पावती

बही सं० [illegible]	रजिस्ट्रेशन सं० [illegible]	वर्ष [illegible]

प्रतिफल [illegible] स्टाम्प शुल्क [illegible] बाजारी मूल्य [illegible] पंजीकरण शुल्क [illegible] प्रतिलिपिकरण शुल्क [illegible] योग [illegible]

श्री सुरेश सिंह,
पुत्र श्री [illegible] सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी : [illegible]

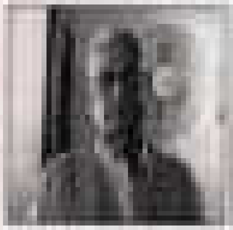
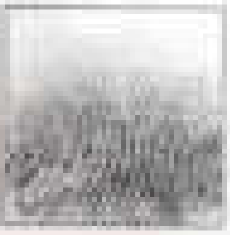

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक [illegible] समय [illegible] बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible]
उप निबंधक [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BW 604160

वित्तीय वर्ष-

ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से आरम्भ होकर प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होगा।

बैंक एकाउन्ट-

अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के नाम किसी भी सहकारी बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंको में खाता खोला जायेगा, जिसका संचालन ट्रस्ट के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मण्डल में से नामित व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

1. वर्तमान अध्यक्ष सिक्योरिटी, कोषाध्यक्ष पाल, अचल सम्पत्ति की क्रय, विक्रय, दान, रेहन, बंधक का अधिकार होगा।
2. सभी ट्रस्ट में पदाधिकारी व सदस्य नवसन बाद नवसन होंगे।

सुरेश सिंह

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	वर्ष [illegible]

[illegible]
[illegible] : [illegible]

श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]
निवासी [illegible]
व्यवसाय [illegible]

[illegible]
हस्ताक्षर : [illegible]

श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]
निवासी [illegible]
व्यवसाय कृषि
हस्ताक्षर : [illegible]

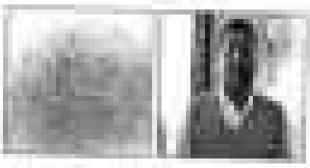

श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]
निवासी [illegible]
व्यवसाय कृषि

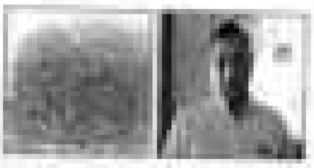

[illegible] अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

18AE 481573

घोषणा-पत्र में संशोधन-

ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपरोक्त घोषणा-पत्र में समय समय पर संशोधन/परिवर्तन, परिवर्धन आवश्यक द्वारा किया जा सकता है। मैं एतद्द्वारा साक्षीगणों की उपस्थिति में नीचे अपने हस्ताक्षर कर इस ट्रस्ट की घोषणा-पत्र का निष्पादन करता हूँ। टाइपकर्ता- प्रमोद कुमार

सुरेश सिंह

दिनांक- (सुरेश सिंह)

सुरेश सिंह

[illegible]
9450215532

[illegible]
मो- 9198003353

आवेदन सं०: 2020[illegible]28

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 18 के पृष्ठ 141 से 168 तक क्रमांक 10 पर दिनांक 18/02/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible]
उप निबंधक [illegible]
अम्बेडकर नगर
18/02/2020